**International Journal of Advanced Educational Research**
**ISSN: 2455-6157**
**Impact Factor: RJIF 5.12**
**www.educationjournal.org**
**Volume 3; Issue 3; May 2018; Page No. 51-57**

# भारतीय संविधान में भारत के प्रधानमंत्री की उपादेयता एवं महत्व का अध्ययन

**आरती द्विवेदी[1], डॉ0 गायत्री मिश्रा[2]**

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

[2] प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत।

**सारांश**

भारत की संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद विशेष महत्व का होता है। देश में लोकसभा निर्वाचन के उपरान्त राष्ट्रपति बहुमत के साथ विजयी राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। शासन की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में होती है क्योंकि वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, उसकी शक्तियां असीमित है।

भारत के प्रधानमंत्री की संवैधानिक व राजनैतिक मामलों में सबसे अहम भूमिका रहती है। प्रधानमंत्री देश के सम्पूर्ण मंत्री परिषद का मुखिया होता है। वह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार की वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। मंत्रियों का चयन उसके मध्य विभागों का बटवारा एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। शासन की नीतियों का निर्धारण करने में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। मंत्रि परिषद की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहती है। कोई भी मंत्री इसे प्रगट नहीं कर सकता। मंत्री को अपने पद ग्रहण करने के पूर्व गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है।

**मूल शब्द :** भारत, संविधान, प्रधानमंत्री, उपादेयता, महत्व।

## प्रस्तावना

भारतीय गणराज्य के संविधान में प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के शासन का प्रमुख पद है। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केन्द्र सरकार के मंत्री परिषद का प्रमुख और राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, वह भारत के कार्यपालिका को सरकार का प्रमुख होता है और सरकार के कार्यों के प्रति संसद को जबाबदेह होता है। भारत की संसदीय राजनीतिक प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख के पद को पूर्णतः विभक्त रखा गया है। सैद्धान्तिक रूप में संविधान भारत के राष्ट्रपति को देश का राष्ट्र प्रमुख घोषित करता है और सैद्धान्तिक रूप में शासन तंत्र की सारी शक्तियों को राष्ट्रपति पर निहित करता है तथा संविधान यह भी निर्दिष्ट करता है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सलाह पर करेगा। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी अधिकारों को प्रयोग करने की शक्ति लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री को दी गई है।[1]

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रि परिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति को आवश्यक माना गया है। उसकी मृत्यु या पद त्याग की दशा में समस्त परिषद को पद छोड़ना पड़ता है। वह स्वेच्छा से ही मंत्री परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति उसकी सलाह से ही करते हैं। मंत्रीगण के विभाग का निर्धारण भी वही करता है। देश के प्रशासन को निर्देश भी वही देता है तथा सभी नीतिगत निर्णय भी वही लेता है। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य सम्पर्क सूत्र भी वही है। मंत्री परिषद का प्रधान प्रवक्ता भी वही है, सत्ता पक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व करता है। संसद में मंत्रिपरिषद के पक्ष में लड़ी जा रही किसी भी बहस में वह भाग ले सकता है। वह किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकतानुसार मंगवा सकता है। अतः भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ महत्व एवं संवैधानिक उपादेयता को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है–

### 1. कार्यपालिक शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में स्पष्ट रूप से मंत्रि परिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक मानता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख किया गया है कि शासन की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कार्य असीमित है। वह नीतियों की घोषणा सदन में करता है। सदन में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक उसी के निर्देशन में तैयार होते हैं। वार्षिक बजट का निर्माण प्रधानमंत्री कराता है तथा देश के सभी महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री के निर्देशन में होते हैं।[2]

प्रधानमंत्री कार्यपालिका का प्रधान अथवा शासनाध्यक्ष, लोक सभा में बहुमत दल प्राप्त अपनी संसदीय दल का नेता, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रवक्ता आदि सभी पद एक साथ संयुक्त रूप से अपने व्यक्तित्व में शक्तियों को समाहित करता है। संघ सरकार एवं इकाई राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना उसी का उत्तरदायित्व है। इन सभी पदों का एक व्यक्ति में समाहित हो जाने के कारण प्रधानमंत्री का पद, शक्ति, प्रतिष्ठा, गौरव एवं गरिमामय पद होने के साथ अपार शक्तियां निहित है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, नियुक्ति कर सकते है या निलंबित करवा सकते हैं क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। अतः इसका अर्थ यह है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री की पसन्द के लोगों द्वारा निर्मित होती है जिसमें वे अपनी पसन्दानुसार कभी भी फेर बदल कर सकते हैं, साथ ही मंत्रियों को विभिन्न कार्यभार प्रदान करना भी पूर्णतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, वे अपने मंत्रियों में से किसी की भी कोई भी मंत्रालय या कार्यभार सौंप सकते हैं। इन मामलों में सम्बन्धित मंत्रियों से सलाह मशविरा करने की या उनकी अनुमति प्राप्त करने की प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अपितु मंत्रियों व मंत्रालयों के मंत्री की सलाह या अनुमति प्राप्त करने की प्रधानमंत्री पर किसी भी प्रकार की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। वे कभी भी अपनी इच्छानुसार किसी भी मंत्री को मंत्रिपद से इस्तीफा देने के लिए भी कह सकते हैं और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने से इंकार कर देता है तो वे राष्ट्रपति से कहकर उसे पद से निलंबित भी करवा सकते है।[3]

प्रधानमंत्री का सरकार की पूरी नीतियों पर नियंत्रण होता है। मंत्रियों की नियुक्ति एवं मंत्रालयों के आवंटन के अतिरिक्त मंत्रिमंडलीय सभाएँ, कैबिनेट की गतिविधियों और संवैधानिक प्रमुख नेता होता है। वे संसद एवं अन्य मंत्री पर मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे मंत्रिमण्डलीय सभाओं की अध्यक्षता तथा बैठकों की कार्यसूची तथा चर्चा के अन्य विषय वो ही तय करते हैं, बल्कि कैबिनेट बैठकों में उठाने वाले सारे मामले में व विषय सूची प्रधानमंत्री की ही स्वीकृति व सहमति से निर्धारित किए जाते हैं, कैबिनेट की बैठकों में उठाने वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूर या नामंजूर करना प्रधानमंत्री की इच्छा पर होता है, हालांकि चर्चा करने और अपनी निजी सुझाव व प्रस्तावों को बैठक के समक्ष रखने की स्वतंत्रता सभी मंत्री को है। परन्तु अन्ततः वही प्रस्ताव या निर्णय लिया जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री की सहमति हो और निर्णय पारित किए जाने के पश्चात उसे पूरे मंत्रिपरिषद का अन्तिम निर्णय माना जाता है और सभी मंत्रियो को प्रधानमंत्री के उस निर्णय के साथ चलना होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि संवैधानिक रूप से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पर प्रधानमंत्री के पूर्ण नियंत्रण व चुनौती हीन प्रभुत्व हासिल है। नियंत्रण के मामले में प्रधानमंत्री, मंत्रि परिषद व सर्वेसर्वा होता है और उसके इस्तीफे से पूरी सरकार गिर जाती है अर्थात सभी मंत्रियों का मंत्रित्व एक साथ समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद की अध्यक्षता के अलावा संविधान प्रधानमंत्री पर एक और खास विशेषाधिकार निहित करता है। यह विशेषाधिकार मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच का मध्य सम्पर्क सूत्र होना। यह विशेषाधिकार केवल प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री समय–समय पर राष्ट्रपति को मंत्री सभा में लिए जाने वाले निर्णय और चर्चाओं से सम्बन्धित जनाकारी से राष्ट्रपति को अधिसूचित कराते रहते है। प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी मंत्री स्वेच्छा से मंत्री सभा में चर्चित किसी भी विषय को राष्ट्रपति के समक्ष उद्घाटित नहीं कर सकता है। अतः मंत्रिमण्डलीय सभाओं में चर्चित विषयों में किन जानकारियों को गोपनीय रखना है एवं किन जानकारियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है, यह तय करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास है।

## 2. विधायिक शक्तियाँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में लोकसभा के सत्र बुलाने और सत्रान्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को देता है, परन्तु इस मामले में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ता है अर्थात् वास्तविक रूप में लोकसभा का सत्र बुलाना और अन्त करना प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। यह अधिकार निःसंदेह प्रधानमंत्री के हाथों में दी गई सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो कि उनको न केवल अपने दल पर अपितु विपक्ष के संसदों की गतिविधियों पर भी सीमित नियंत्रण की शक्ति एवं अवसर प्रदान करता है। भारतीय संविधान में सरकार और मंत्रिपरिषद के प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, साथ ही वह सत्ता पक्ष का प्रमुख प्रतिनिधि होता है इस सन्दर्भ में सदन में सरकार और सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य माना जाता है। साथ ही यह आशा की जाती है, कि सदन में सरकार द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण विधेयक और घोषणाएँ प्रधानमंत्री करेंगे तथा उन महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री उत्तर देगें। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन द्वारा होता है। अतः साधारणतः सभापति भी बहुमत दल का होता है। अतः बहुमत दल के नेता होने के नाते सभापति के जरिये प्रधानमंत्री लोकसभा की कार्यवाही को भी सीमित रूप से प्रभावित करने क्षमता रखते हैं, क्योंकि सभापति सभा का अधिष्ठाता होता है और सदन में चर्चा की विषय सूची भी सभापति ही निर्धारित करता है, हालांकि सदन की कार्यवाही को अधिक हद तक प्रभावित नहीं किया जा सकता। इन कर्तव्यों के अलावा संसदीय कार्यवाही के संतुलन बनाने में प्रधानमंत्री को सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है।[4]

भारतीय संविधान की अनेक व्यवस्थाएँ राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार देती है, उदाहरणार्थ समवर्ती सूची पर केन्द्रीय और प्रांतीय कानूनों में मतभेद पैदा होने पर केन्द्रीय कानून को मान्यता प्राप्त होती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में लोकसभा के सत्र के चालू होने पर राज्य सभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी विषय को राज्य सूची से केन्द्र सूची में एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 250 के अनुसार संकटकाल में केन्द्रीय संसद सीधे राज्य के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत राज्यों के सम्म्बन्ध में कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के आधीन राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य परस्पर समझौता कर केन्द्र को राज्यसूची पर कानून बनाने का अधिकार स्वयं दे सकते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री को राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने तथा राष्ट्रीय नीतियों, सिद्धान्तों एवं कानूनों की एकरूपता के लिए निर्देश प्रदान करने के अनेक संविधान प्रदत्त शक्ति प्राप्त है।

भारतीय संविधान के 44वें संशोधन द्वारा ऐसे अंकुश लगा दिये गये हैं जिनसे संकटकालीन शक्तियों का दुरूपयोग नहीं हो सके पर यदि संकटकालीन की घोषणा हो जाये तो संविधान प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री करता आया है। लोकसभा की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को कायम रखने का दायित्व उसी का है। लोकसभा का सफल संचालन एवं उसकी गरिमा को बनाये रखने में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। संकटकालीन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की शक्ति अत्याधिक बढ़ जाती है क्योंकि राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों का उपयोग व्यवहार में प्रधानमंत्री करता है।

विगत वर्षो में प्रधानमंत्री की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री की स्थिति उसके अन्य कैबिनेट सहयोगियों की अपेक्षा

उनके पद में निहित संवैधानिक एवं परम्परागत विशेषाधिकारों के कारण सर्वोच्च है, जिसके निम्नलिखित कारण है[5]–

1. अपने सहयोगियों की नियुक्ति बर्खास्तगी के अधिकार द्वारा वह उन्हें नियंत्रित कर सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुशासन में बांधे रख सकता है।
2. राष्ट्रपति के सतत और प्रत्यक्ष सम्बन्धों के कारण यह कैबिनेट और राष्ट्रपति के मध्य सम्पर्क की एक मात्र सर्वोच्च कड़ी के रूप में सम्पूर्ण कैबिनेट का प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता होता है।
3. अपने पद त्याग की धमकी द्वारा सम्पूर्ण कैबिनेट के राजनैतिक जीवन को समाप्त करने की क्षमता रखने के कारण वह अपने विरोधी सहयोगियों की आलोचनाओं को अवरूद्ध कर सकता है।
4. वह दल का नेतृत्व करता है, यह शक्ति उसके अन्य सहयोगियों को प्राप्त नहीं है।
5. संसद के विघटन की अपनी शक्ति द्वारा वह उन्हें नियंत्रित कर अन्य मंत्रियों को कैबिनेट से ही नहीं संसद सदस्यता से वंचित कर पुनः निर्वाचन के कष्टप्रद खर्चीले कठिनाईपूर्ण स्थिति में भेज सकता है।
6. आधुनिक युग में समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना युद्ध से उत्पन्न समस्याओं, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन प्रशासन की जटिलताओं एवं प्रधानमंत्री के विशेष उत्तरदायित्वों ने उसकी शक्ति एवं भूमिका को अन्य सहयोगियों की अपेक्षा व्यापक और अत्यन्त प्रभावपूर्ण बना दिया है।

## 3. न्यायिक शक्तियाँ

यद्यपि न्यायिक शक्ति भारत के प्रधानमंत्री में निहित होती है। विधि निर्माण संसद का अधिकार और कृत्य है लेकिन व्यवहार में इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की तब निर्णायक भूमिका होती है जब वह बहुमत का विश्वास अर्जित किए है। संसद में बहुमत दल का नेता होने के कारण कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आता है और बहुमत के बल पर व संसद में मनोवांछित न्यायिक कानून बनवा सकता है। प्रधानमंत्री संविधान में संशोधन करवा सकता है लेकिन प्रधानमंत्री यह सब करते समय जनता और विरोधी दलों के रूख का ध्यान रखता है। अपना उत्तरदायित्व समझने वाला कोई प्रधानमंत्री निरंकुशता के मार्ग पर नहीं चलेगा। भारत में अब तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शो और परम्पराओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है।[6]

प्रधानमंत्री को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। संविधान विरोधी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति न्यायपालिका को होती है, उसे प्रधानमंत्री बड़ी सीमा तक नियंत्रण रखता है। संविधान में एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो प्रत्यक्ष तथा परोक्ष दोनों रूपों में चुनाव सम्बन्धी मामलों में प्रधानमंत्री की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाती है। अतः प्रधानमंत्री तानाशाह नहीं बन सकता वह संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर अपनी शक्तियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है।

डॉ. विमला शुक्ला के अनुसार प्रधानमंत्री और जनता दोनों परस्पर अन्तर्सम्बन्धित और अन्योन्याश्रित है। प्रधानमंत्री की भूमिका उनके कार्यों एवं नीति का प्रभाव जनता पर पड़ता है और जनमत के समर्थन और विरोध का प्रभाव प्रधानमंत्री पर पड़ता है। प्रधानमंत्री सत्तारूढ दल का ही नहीं सम्पूर्ण दल का नेता होता है। अतः जनमत के विश्वास, बहुमत एवं लोकप्रियता को अपने पक्ष में कर वह शक्तिशाली प्रधानमंत्रीय भूमिका सम्पादित कर सकता है। जिस दल को ऐसे व्यक्तित्व एवं नेतृत्व वाला व्यक्ति मिल जाता है जिसे जनता की प्रशंसा एवं विश्वास प्राप्त हो उसे लम्बे समय तक सत्ता में बने रहने का लाभ तथा तानाशाह बनने तक की शंक्तियां प्राप्त हो जाती है। इसी भांति जनता अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधियों, विभिन्न संगठनों, संस्थानों, प्रभावक और हित–प्रित गुटों आलोचनाओं, आंदोलनों, प्रदर्शनों एवं हड़तालों इत्यादि के द्वारा अपनी मांगों, शिकायतों, इच्छाओं एवं असंतोष को सरकार तक पहुंचा सकती है। अन्तिम रूप से जनता मतपत्रों द्वारा प्रधानमंत्रियों को समर्थित या असमर्थित कर सत्तारूढ़ या अपदस्थ करने का अपना निर्णय देती है।[7]

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विदेश नीति निर्धारित की जाती है। यथा विदेशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, शान्ति, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संधियां करना आदि प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को चाहे अपने आधीन रखे अथवा किसी दूसरे मंत्री को सौंपे लेकिन वह विदेश मंत्रालय से लगातार सम्पर्क में रहता है अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता वही होता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण मामलों का अन्तिम व न्यायिक निर्णय प्रधानमंत्री ही करता है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने विदेश नीति के निर्माण में इतना योगदान दिया है कि भारतीय विदेश नीति को पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति कहा जाने लगा।

## 4. मंत्रिमण्डल गठन व पुनर्गठन की शक्तियाँ

प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल गठन व पुनगर्ठन में व्यापक शक्तियां प्राप्त है। प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का गठनकर्ता एवं निर्माता होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमण्डल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह मंत्रिमण्डल का पुनगर्ठन कर सकता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, पदोन्नत तथा फेर बदल प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 75(1) के अन्तर्गत भारतीय संविधान में मंत्रिमण्डल गठन एवं पुनगर्ठन की व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा मंत्रिमण्डल में शामिल मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति करेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 उत्तरदायी शासन के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। मंत्रिमण्डल का गठन एवं मंत्रिमण्डलीय शासन पद्धति के क्रियान्वयन में रूढ़ियों और परम्पराओं के लिए स्थान है, मंत्रिमण्डल में शामिल मंत्री आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होते हैं, हालांकि ऐसे व्यक्ति के मंत्री बनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो संसद के सदस्य न रहे हों, तथापि संविधान के अनुच्छेद 75(5) के अनुसार मंत्रिमण्डल में शामिल कोई भी मंत्री जो निरंतर छः मास तक संसद के किसी सदन का सदस्य न रहे हों, वह उस अवधि के समाप्ति पर मंत्रिमण्डल के मंत्रि पद पर नहीं रह सकता। अतः प्रधानमंत्री की मंत्रिमण्डल के गठन में एवं अन्य मंत्रिमण्डल में शामिल मंत्रियों से गौरवपूर्ण एवं अधिकार पूर्ण शक्तियां निहित है। मंत्रिमण्डल में प्रधानमंत्री की शक्ति सर्वोच्च होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का पुर्नगठन नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन करने की शक्ति प्राप्त है। वह हर समय मंत्रिमण्डल में शामिल मंत्रियों से त्यागपत्र मांग सकता है, मंत्रियों को इंकार करने पर वह राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है, वह संसद में और संसद के बाहर मंत्रिमण्डल में शामिल मंत्रियों का बचाव करके आत्मविश्वास की भावना का विकास करता है।

मंत्रिमण्डल के गठन के सम्बन्ध में भारतीय गणराज्य संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा मंत्रीमण्डल में शामिल शेष सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पदों पर बने रहेंगे। यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किन्तु इस सम्बन्ध में

राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की नियुक्ति तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही अनिवार्यतः प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता है किन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में वह मंत्रिमण्डल के गठन एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के लिए स्वविवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है।

1. जब लोकसभा में किसी दल या गठबन्धन को स्पष्ट अथवा पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो।
2. जब लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सबसे बड़ा दल राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करे।
3. जब दो या दो से अधिक या अनेक राजनैतिक दलों का गठबन्धन मिलकर राष्ट्रपति के सम्मुख सरकार बनाने का अपना दावा प्रस्तुत करे।
4. जब दलीय विद्रोह के कारण अलग हुए गुट के नेता को कोई राजनैतिक पार्टी अथवा राजनैतिक दल अथवा कुछ गठबन्धन सरकार में शामिल हुए बिना बाहर रहकर उस मंत्रिमण्डल का गठन करने में सहायता करे।
5. यदि लोकसभा में बहुमत राजनैतिक दल में नेतृत्व के प्रश्न पर फूट पड़ जाये तो दो प्रतिद्वन्दी नेता दल में अपने बहुमत का दावा राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करे।
6. यदि कोई प्रधानमंत्री लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर पराजित हो जाये और वैकल्पिक सरकार के गठन के सम्बन्ध में कठिनाई उपस्थित हो।

मंत्रिमण्डल का गठन करना प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार माना जाता है, वह अपनी पसन्द के लोगों को मंत्रिमण्डल में शामिल कर सकता है, इसके बावजूद भी वह मंत्रीमण्डल का निर्माण करने एवं मंत्रिपरिषद का पुनगर्ठन करने में पूर्णरूपेण स्वतंत्र नहीं होता है। मंत्रिमण्डल का गठन अथवा मंत्रिपरिषद के पुनर्गठन में प्रधानमंत्री के लिए निम्नलिखित प्रतिबन्ध होते हैं –

1. प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी दलों तथा सहयोगियों को अपने मंत्रिमण्डल में स्थान प्रभावशाली लोगों को देना पड़ता है, प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन में प्रभावशाली संसद सदस्यों की कदापि उपेक्षा नहीं कर सकता।
2. प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का गठन करते समय देश के सभी भागों के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है।
3. अगर वह संविद सरकार का नेतृत्व करने वाला हो तो अपने साझेदार घटक और घटकों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है।
4. प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल में देश के सभी समुदायों, वर्गो और हित समूहों को भी प्रतिनिधित्व देता है।
5. प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमण्डल में प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुशल एवं विशेषज्ञ लोगों को पुनगर्ठन में विशेष ध्यान देता है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल के पुनगर्ठन के अपने दल के प्रभावशाली सहयोगियों को स्थान देना पड़ता है। वह उनकी उपेक्षा मंत्रिमण्डल के गठन में नहीं कर सकता है। संविधान में प्रधानमंत्री की उपादेयता एवं महत्व असीम है, वह मंत्रिमण्डल गठन व पुनगर्ठन में भरपूर शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिमण्डल के गठन की शक्तियों में भारी वृद्धि हुई है। आज स्थिति यह है कि संसद मंत्रिमण्डल को नियंत्रित नहीं करती अपितु मंत्रिमण्डल संसद को नियंत्रित करती है। मंत्रिमण्डल गठन व पुनगर्ठन की अपार शक्ति प्रधामनंत्री में निहित है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में भारत का राष्ट्रपति तो औपचारिक संवैधानिक अध्यक्ष मात्र है, मंत्रिमण्डल वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमण्डल की शक्तियों में अपार वृद्धि हुई है, संसद दलीय अनुशासन में बंधे रहते हैं, अपनी (आत्म) अथवा अन्तःकरण को मारकर मंत्रिमण्डल के निर्णय का समर्थन करते हैं।[8]

मंत्रिमण्डल की शक्तियों में जब वृद्धि हो रही है और संसद की शक्तियों में ह्रास हो रहा है तो क्या ऐसी स्थिति, परिस्थितियों में मंत्रिमण्डल तानाशाह या अधिनायक बन सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने मंत्रिमण्डल के पुनर्गठन में अनेक सीमाओं का निर्धारण किया गया है, मंत्रिमण्डल पर निम्नलिखित प्रतिबंध हैं जो इस प्रकार हैं –

1. भारतीय संविधान मंत्रिमण्डल की तानाशाही रोकने में सक्षम हैं, संविधान निर्माताओं ने भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा प्रदान किया है, फलतः कोई सरकार या मंत्रिमण्डल देश के इस बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संविधान निर्माताओं की भावनाओं और अपेक्षाओं को नकारने की क्षमता किसी मंत्रिमण्डल में नहीं हैं यद्यपि मंत्रिमण्डल ससंद में अपने बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन तो कर सकता है, तथापि इसके आधारभूत या बुनियादी स्वयरूप में परिवर्तन नहीं कर सकता है।
2. विपक्षी दलों का मंत्रिमण्डल पर प्रभावशाली नियंत्रण रहता है। वे संसद में प्रश्नोत्तर काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निन्दा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिमण्डल को नियंत्रित करते हैं। संसदीय समितियों के द्वारा विपक्षी दल मंत्रिमण्डल पर अंकुश स्थापित करते हैं। संसद के बाहर विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों और सभाओं के माध्यम से मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, विपक्षी दल जनमत जाग्रत करने का कार्य करते हैं।
3. मंत्रिमण्डल का गठन एवं पुनर्गठन की शक्तियों पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का नियंत्रण होता है, पांच वर्ष की समाप्ति के बाद भारतीय प्रजातंत्र के मंत्रिमण्डल को मतदाताओं का सामना करने के कारण वह अमर्यादित या मतदाताओं का सामना करने के कारण वह अमर्यादित या तानाशाही आचरण करने से स्वयं को बचाता है। वह जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करता है। उसकी कार्यशैली हमेशा लोकतांत्रिक बनी रहती है, भारतीय लोकतंत्र में जिस किसी मंत्रिमण्डल ने अमर्यादित आचरण किया, भारत की जनता ने उसे पद से हटा दिया।
4. स्वतंत्रता के पश्चात देश की जनता में राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई है, इसके बाद एक संसदीय और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों में उसने भारी राजनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया है। अतः भारतीय प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री और मंत्री मण्डल के सदस्य जनता की अपेक्षाओं और संवेदनाओं के प्रति चौकन्ने रहते हैं और उसकी शक्ति से वाकिफ रहते हैं। यह स्थिति मंत्रिमण्डल को सदैव नियंत्रित करती रहती है।
5. समाचार पत्रों के निष्पक्ष और जागरूक प्रकाशन के कारण तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाता है तथा भारतीय प्रजातंत्र में मंत्रिमण्डल के गठन की सीमाओं का निर्धारण करता है।
6. भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा का सिद्धान्त प्रचलित है। जिसका प्रमुख तात्पर्य यह है कि मंत्रिमण्डल और संसद द्वारा किये गये प्रत्येक कार्य की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा की जाती है। यदि न्यायपालिका को यह प्रतीत है कि मंत्रिमण्डल या संसद के किसी भी कार्य से

संविधान का अतिक्रमण हुआ है तो उसे अवैध घोषित कर सकती है। इसके अतिरिक्त केशवानन्द भारती के विवाद के उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय अत्यन्त कारगर एवं महत्वपूर्ण रहा है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन इसके मौलिक या आधारभूत स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय मंत्रिमण्डलीय अधिनायक वाद पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करता है। हाल ही में भारत वर्ष की न्यायपालिका की सक्रियता में मंत्रिमण्डल की शक्ति को नियंत्रित किया है।

7. भारतीय लोकतंत्र में मंत्रिमण्डल गठन की शक्तियाँ में मंत्रिमण्डलीय विस्तार अंतर्गत संसदीय समितियों एवं लोकसेवा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और अनुमान समिति साथ ही अन्य समितियाँ मंत्रिमण्डल पर नियंत्रण स्थापित करती है तथा भारत की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में मंत्रिमण्डल के गठन की शक्तियों एवं सीमा पर नियंत्रण करती हुए अंकुश स्थापित करती है।
8. भारतीय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अंतर्गत भारत में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्य सभा का सभापति उपराष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की भूमिका पर अंकुश लगाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रीमण्डल के सदस्यों को इस पीठासीन अधिकारियों की प्रतिष्ठा और गौरव को अक्षुण्य बनाये रखने के लिए कृत संकल्प रहना पड़ता है। ये अधिकारी संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। ये मंत्रिमण्डल के गठित सदस्यों को आवश्यक निर्देश देते हैं जिनकी उनके द्वारा अनुपालन की जाती है।

## 5. राज्यों, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निष्पादन

प्रधानमंत्री राज्य, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के रूप में कार्य करता है। संघ सरकार एवं इकाई राज्यों की सरकारों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। प्रधानमंत्री को अपनी नीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमण्डल के अन्य मंत्रियों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। उनके युक्ति संगत दबाब को वह सहन करता है, उत्तरदायित्व के प्रति सजग मुख्यमंत्री सद्परामर्श से प्रधानमंत्री को निरंकुशता की ओर नहीं जाने देते हैं।

राज्यों और केन्द्र के सम्बन्धों को बनाने में प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, राज्य सरकारें और प्रधानमंत्री की शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। केन्द्र और राज्य सरकार के सम्बन्धों के प्रमुख प्रेरणा प्रेरक प्रवक्ता सूत्रपातकर्ता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता है तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम एवं उनके माध्यम द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र और राज्यों के प्रमुख वास्तविक अधिकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं, व्यवहार में दोनों वास्तविक प्रमुख अधिकारियों के सम्बन्ध अत्याधिक प्रत्यक्ष हो गये हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है, वस्तुतः राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कराने में मुख्य भूमिका रहती है, संवैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री को न तो मुख्यमंत्रियों का नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है, और न ही मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में भूमिका निभाने का कोई अधिकार है। परन्तु व्यावहारिक राजनीति में दोनों परस्पर नियुक्ति की पद्धति को प्रभावित कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[9]

भारतीय संविधान में अनेक व्यवस्थाएं राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री को प्रभावपूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार निहित है, उदाहरणार्थ समवर्ती सूची पर केन्द्रीय और प्रान्तीय कानूनों में मतभेद पैदा होने पर केन्द्रीय कानून को मान्यता प्राप्त होती है, अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्रीय हित में लोकसभा के सत्र के चालू होने पर राज्य सभा उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी विषय को राज्य सूची से केन्द्र सूची में एक वर्ष के लिए ले सकती हैं और आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अनुच्छेद 250 के अनुसार संकटकाल में केन्द्रीय संसद सीधे राज्य के सम्बन्ध में कानून बना सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के क्रियान्वयन की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 253 के अन्तर्गत राज्यों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है, अनुच्छेद 200 के आधीन राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्य परस्पर समझौता कर केन्द्र के राज्यसूची पर कानून बनाने का अधिकार स्वयं दे सकते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री को राज्य व्यवस्थापन के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने तथा राष्ट्रीय नीतियों, सिद्धान्तों एवं कानूनों की सफलता के लिए निर्देश प्रदान करने के अनेक संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त है।

भारत के प्रधानमंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने का दायित्व निहित है। विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति का क्रियान्वयन एवं लागू करने की शक्ति विहित की गई है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में विदेश नीति निर्धारित की जाती है तथा विदेशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध स्थापित करना, शान्ति व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सन्धिया करना आदि प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय को चाहे अपने आधीन रखे अथवा किसी दूसरे मंत्री को सौंपे किन्तु प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुददो से लगातार सम्पर्क में रहता है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में देश का वास्तविक प्रवक्ता प्रधानमंत्री ही होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों एवं विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण मामलो का अन्तिम निर्णय प्रधानमंत्री करता है, इस प्रकार भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे – विदेश नीति के निर्माण में इतना अधिक योगदान दिया है कि आज भारतीय विदेश नीति को पंडित नेहरू की नीति कहा जाने लगा।

प्रधानमंत्री की अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निष्पादन में डॉ. मनमोहन सिंह अनेक उपलब्धियां हासिल की। डॉ. सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जो उपलब्धियां हासिल की उनमें इण्डोनेशिया के बांडुंग (जकार्ता) शहर में आयोजित एशियाई, अफ्रीकी प्रतिनिधियों के सम्मेलन में उनकी उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। यहां डॉ. सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे, परन्तु उन्हें सम्पूर्ण एशियाई महाद्वीप के प्रतिनिधि के तौर पर बोलने का सम्मान मिला, यही नहीं इस सम्मेलन में उन्होंने एशियाई, अफ्रीकी प्रतिनिधियों की अगुवाई भी की। बाडुंग के ऐतिहासिक मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री को मिले इस सम्मान ने विश्व विरादरी में भारत के कद को और ऊँचा कर दिया।

## 6. संतुलित समव्यवहार की स्थापना

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने संतुलित समव्यवहार की स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शो और परम्पराओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। यद्यपि प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने में उसका दल सहयोग करता है, किन्तु वास्तविकता यह है कि वह अपने दल का घोषित अथवा अघोषित नेता होता है। किन्तु सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन है, प्रत्याशियों के चयन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किन्तु दल के सदस्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों के साथ देश में संतुलित समव्यवहार को स्थापित करने के लिए बाध्य है। दल की स्थिति भूमिका एवं प्रधानमंत्री से उसके सम्बन्धों को संविधान के अन्तर्गत कहीं पर सुपरिभाषित कर स्पष्ट

एवं सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। इन्हें संवैधानिक संरचना के रूप में विकसित एवं परिभाषित किया जाता रहा है। कभी ये विवाद सरकार और दल के दोनों प्रमुखों प्रधानमंत्री बनाम दलीय अध्यक्ष के मध्य कभी संसदीय बनाम संगठनात्मक पक्ष के मध्य चर्चित रहे हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समय शक्ति दल से सरकार के हाथों में हस्तान्तरित की गई किन्तु उनकी मृत्यु के बाद स्थिति में परिर्वतन हो गया। अब वह व्यवहारिक रूप से दलीय अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री करता था। परन्तु अब प्रधानमंत्री के चयन में दल के अध्यक्ष की आवश्यकता हुई है। वर्ष 1971 के बाद से प्रधानमंत्री के पद पर दलीय अध्यक्ष के पद को आच्छादित कर दिया गया और औपचारिक शक्तियाँ न होते हुए भी प्रधानमंत्री वास्तविक रूप से दल और सरकार का नेता बन गया, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री दल के अध्यक्षों के सम्बन्धों में स्पष्ट स्थिति नहीं रही पर ऐसा लगा कि दल का अध्यक्ष अपनी संवैधानिक शक्तियों और अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। जनता पार्टी की सरकार अल्पकालिक रही और जनवरी 1980 में श्रीमती गांधी विशाल बहुमत के साथ भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी तथा दल अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के द्वारा उसी प्रकार आच्छादित हो गया है। जिस प्रकार 1971 के बाद हो गया था। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। अतः भारत में आजादी के बाद से अब तक जो प्रधानमंत्री हुये हैं, उन्होंने राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय समव्यवहार, जो लोकतांत्रिक आदर्शों और परम्पराओं के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान मे महत्वपूर्ण उपादेयता रही है।

यद्यपि प्रधानमंत्री दलीय आवश्यकताओं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र में सभी जातियों, सम्प्रदायों, धर्मो, क्षेत्रों के साथ संतुलित व्यवहार, सम व्यवहार को ध्यान रखना पड़ता है, संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है कि वह अपने साथियों के चयन में प्रधानमंत्री की छूट मर्यादित हो। किन्तु प्रधानमंत्री को देश में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सामंजस्य बनाने के लिए वातावरण निर्मित करना पड़ता है। इसी प्रकार विधि निर्माण में भी संसद का अधिकार एवं कृत्य है। किन्तु व्यवहार में इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री की निर्णायक भूमिका होती है। जब वह बहुमत का विश्वास अर्जित किए हो। संसद में बहुमत दल के नेता होने के कारण कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर आता है और बहुमत के बल पर वह देश के संसद में मनोवांछित कानून बनवा सकता है, वह भारतीय संविधान में संशोधन करवा सकता है, किन्तु प्रधानमंत्री यह सब करते समय भारत देश की जनता–जनार्दन और देश के विभिन्न पार्टियों और विपक्षी दलों के रूख का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। अपना उत्तरदायित्व समझने वाला कोई प्रधानमंत्री भी निरंकुशता के मार्ग पर नहीं चलने को बाध्य है।[10]

भारतीय संविधान में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं है, राज्यों एवं केन्द्र के बीच समव्यवहार एवं सम व्यवस्थापन के लिए प्रधानमंत्री की उपादेयता एवं दायित्वों का निर्वाहन के लिए बाध्य है तथा संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री को न तो राज्यों अथवा प्रान्तों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करने का अधिकार है, संविधान के 42वें संशोधन से पहले इस अनुच्छेद का मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के अधीन एक परामर्शदात्री समिति जो अभी तक अपने पद पर रह सकती है जब तक भारत का राष्ट्रपति चाहे अथवा संविधान के 42 वें संशोधन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश का कार्य एवं विभिन्न विकास कार्यों का सम्पादन, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सामंजस्य स्थापित कर कार्यों का सम्पादन में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार चलेगा। किन्तु भारतीय संविधान के 44वें संशोधन में यह शर्त लगा दी गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल अथवा मंत्री परिषद अपने परामर्श कर पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकता हैं किन्तु इस पुनर्विचार के पश्चात दिए हुए परामर्श के अनुसार उसे कार्य करना होगा।

अतः प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय प्रजातंत्र में संघ के कार्यों के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल में मंत्रियों अथवा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के लिए तथा वह सम्बन्धित जानकारी से महामहिम राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से जानकारी देवे, साथ ही अगर भारत का राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले अथवा मुद्दे को जिस पर भारतीय मंत्रिमण्डल पर किसी भी मंत्री ने निर्णय कर लिया है परन्तु जिस पर मंत्रिमण्डल अथवा मंत्री परिषद पर पूर्णतः विचार विमर्श नहीं किया गया है, ऐसे मामलों को मंत्रिमण्डल में विचार करने हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है।

संतुलित समव्यवहार की स्थापना, भारतीय प्रजातंत्र में संतुलन तथा व्यवहारिक राजनीति के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति तब तक मजबूत होती है जब तक भारत के राष्ट्रपति भवन में कुशल प्रशासक, संतुलित समव्यवहार निर्दाग छवि एवं मैत्रीपूर्ण व्यक्तित्व विराजमान की स्थिति बनी रहती है। एक मैत्रीविहीन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए तरह–तरह की कठिनाइयों को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका का निर्वाहन कर सकता है।

इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र है। यहां प्रधानमंत्री को कार्यपालिक शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, मंत्रीमण्डल गठन एवं पुर्नगठन की शक्तियाँ, राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का निष्पादन तथा सम्पूर्ण देश में संतुलित समव्यवहार स्थापित करने की शक्ति या उपादेयता प्रधानमंत्री में पायी गई है।

## निष्कर्ष

सरकारी कार्यों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त भी सरकारी तंत्र पर प्रधानमंत्री का अत्याधिक प्रभाव व पकड़ होता है। शासन व सरकार के प्रमुख होने के नाते कार्यकारणी की तमाम नियुक्तियां वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सारे उच्च स्तरीय अधिकारी व पदाधिकारी प्रधानमंत्री अपने पसन्द के नियुक्त करते हैं। सभी राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत इत्यादि सभी उच्चस्तरीय नियुक्ति की शक्तियां व कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किए जाते हैं।

इस प्रकार शक्तिशाली प्रधानमंत्री की भूमिका के परिपालन के लिए प्रधानमंत्री का प्रभावपूर्ण एवं चमत्कारिक व्यक्तित्व, नियंत्रणकारी स्वभाव एवं कार्यशैली परिस्थितियों और उचित अवसर पर उचित निर्णय लेने की क्षमता, व्यवहारिक सूझ–बूझ, राजनीतिक ब्यूह, कौशल चातुर्य तथा अपने सहयोगियों में सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता प्रधानमंत्री में अति महत्वपूर्ण होती है।

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की उपादेयता बहुआयामी एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री को राष्ट्र का नेता या नायक माना जा सकता है। देश की एकता और अखण्डता का सूत्रधार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार देश की वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री में निहित है। प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है इसे देश का हृदय स्थल ''गुरूत्वकर्षण का केन्द्र'', राजनीतिक शासक और सर्वोच्च शासक की संज्ञा दी जाती है। भारत देश का राष्ट्रपति औपचारिक या संवैधानिक शासक है परंतु प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासक समझा जाता है।

भारत के प्रधानमंत्री की मंत्रिमण्डल के गठन व पुर्नगठन में

बहुआयामी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का गठन और राज्य सरकारों में मंत्रिमण्डल के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना उसी का उत्तरदायित्व है, इन सभी पदों का एक व्यक्ति में समाहित हो जाने के कारण प्रधानमंत्री की भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण उपादेयता के साथ न्यायिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिक शक्ति के साथ मंत्रिमण्डल गठन व पुनगर्ठन की शक्ति निहित है।

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को राज्यों, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के निष्पादन की शक्ति प्रदान की गई है। केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के प्रमुख प्रेरणा–प्रेरक एवं सूत्रपातकर्ता प्रधानमंत्री है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रधानमंत्री देश का वास्तविक प्रवक्ता होता है। समस्त प्रकार की सैनिक शक्ति का प्रयोग, शांति समझौता, सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे पर निर्णय अन्तरिम रूप से प्रधानमंत्री द्वारा निष्पादन होता है।

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार प्रदान किया गया है। देश कि सर्वोच्च शक्ति, आपातकाल में मंत्रिमण्डल को व्यापक अधिकार एवं प्रधानमंत्री को राजनैतिक व्यवस्था का हृदय तथा सर्वोच्च शासक की संज्ञा दी गई है।

## सन्दर्भ


1. नेमा, जी.पी. एण्ड त्रिपाठी, डी.सी. (2009), प्रतियोगी राजनीति विज्ञान, कालेज बुक डिपार्टमेंट–83, ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 321–322.
2. इन्टरनेट विक पीडिया (2012), भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां, पृष्ठ 1–24.
3. शुक्ला विमला, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका, पृष्ठ 174–175.
4. वशु, दुर्गादास (1994), भारत का संविधान एक परिचय, पृष्ठ 162–163.
5. नेमा, जी.पी. (2009), प्रतियोगी राजनीति विज्ञान, कालेज बुक डिपार्टमेंट–83, ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 326–327.
6. परौहा, उमा (2004), इन्दिरा गांधी के राजनीतिक विचार, गायत्री प्रकाशन, पृष्ठ 137–139.
7. शुक्ला, विमला, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका, पृष्ठ 353–357.
8. नेमा, जी.पी., त्रिपाठी, डी.सी. (2009), प्रतियोगी राजनीति विज्ञान, कालेज बुक डिपार्टमेंट–83, ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 321–322.
9. शुक्ला विमला, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की भूमिका, पृष्ठ 353–357.क
10. नेमा, जी.पी. एण्ड त्रिपाठी, डी.सी. (2009), प्रतियोगी राजनीति विज्ञान, कालेज बुक डिपार्टमेंट–83, ट्रिपोलिया बाजार, जयपुर, प्रथम संस्करण, पृष्ठ 329.